EX. — मई 1971

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 87] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 1971/वैशाख 25, 1893

No. 87] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1971/VAISAKHA 25, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Deptrtment of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May 1971

G.S.R. 717/Ess.Com/Press-mud.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of the Sugarcane Press-mud (Control) Order, 1959, the Central Government hereby authorises the Chief Sugarcane Development Officer, Government of Maharashtra to issue permits to the "producers of sugar" in that State for the sale of press-mud referred to in sub-clause (2) of clause 3 of the said Order.

[No. 19-1/69-S-Py.]

R. S TALWAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई 1971

सा० का० नि० 717.—आवश्यक वस्तु। प्रैस-मड—गन्ना प्रैस-मड (नियंत्रण) आदेश, 1959 के खण्ड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य गन्ना विकास अधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह उक्त आदेश के खण्ड 3 के उपखण्ड (2) में विनिर्दिष्ट प्रैस-मड के विक्रय के लिए उस राज्य में "चीनी उत्पादकों" को अनुज्ञापन दे सकें।

[सं० 19-1/69-एम० पी० बाई०]

आर० एम० तलवाड़, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971